राजकीय महाविद्यालय दूदू

(जयपुर) राजस्थान

विवरणिका

prospectus

सत्र : 2023–24

विवरणिका में प्रदत्त सूचनाओं तथा नियमों में आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर के निर्देशानुसार प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, दूदू (जयपुर) द्वारा संशोधन, परिवर्तन या विलोपन किया जा सकेगा, जो सर्वमान्य होगा।

प्राचार्य व संरक्षक

प्रो. सीताराम चौधरी

सम्पादक मण्डल

डॉ. यदुवीर सिंह खिरवार

श्रीमती लता कुमारी छाछिया

E-mail : gcdudurajasthan@gmail.com

प्राचार्य – मो. 9829368888

नोडल अधिकारी (ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया) मो 8769566551

अनुक्रमणिका

क्र.सं.

01. प्राचार्य की कलम से

02. महाविद्यालय परिचय

03. महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

04 प्रवेश शुल्क का विवरण

05 छात्रवृत्तियाँ

06. प्रवेश के सामान्य नियम

07. महाविद्यालय के सामान्य नियम

08. उपस्थिति सम्बन्धी नियम

09. रैगिंग– आपराधिक कृत्य

10. सह–शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर गतिविधियां

11. राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठियों का प्लेटफॉर्म

12. छात्रसंघ

13. महाविद्यालय परिवार

14 प्रवेश समितियॉ

प्राचार्य की कलम से .....

प्रिय विद्यार्थियों

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सत्र 2018–19 से ही प्रारम्भ हुए राजकीय महाविद्यालय, दूदू में शैक्षणिक सत्र 2023–24 में प्रवेशार्थियों का स्वागत है। आप सभी उच्च शिक्षा के साथ–साथ अपने व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास एवं जीवन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु इस महाविद्यालय में प्रवेश लेने जा रहे हैं। यहाँ प्राप्त शिक्षा आपके व्यक्तित्व का परिष्करण एवं परिमार्जन कर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आपका मार्गदर्शन करेगी। ज्ञान प्राप्ति का अर्थ मात्र पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं है, अपितु तन, मन, बुद्धि, विवेक एवं आत्मा को संस्कारित कर स्वयं में श्रेष्ठ मानव के गुण विकसित करना ही वास्तविक ज्ञानार्जन है। अतः समय का महत्व और कर्मठता की आवश्यकता को पहचानते हुए आत्मविश्वास के साथ ज्ञान प्राप्ति के क्षेत्र में सतत् प्रयत्नशील रहें। युवा शक्ति ही देश का भविष्य है।

इस सनातन संस्कृति सम्पन्न देश को विश्व का सिरमौर बनाने का संकल्प लें। यह महाविद्यालय आपके व्यक्तित्व के समुचित विकास और चिर प्रतीक्षित स्वप्नों को पूरा करने के लिए वैचारिक ऊर्जा एवं उचित मार्गदर्शन देने में सक्षम तथा उपयुक्त वातावरण प्रदान करने वाली गरिमामयी संस्था है। यहॉ के ऊर्जावान व ज्ञान संपन्न विषय–विशेषज्ञ प्राध्यापक आपके चहॅुमुखी विकास हेतु सतत् मार्गदर्शक की भूमिका में उपलब्ध हैं। आप नियमित रूप से महाविद्यालय में उपस्थित रहकर तथा अध्ययन के साथ–साथ सहशैक्षणिक व शिक्षणेत्तर गतिविधियों में उत्साह पूर्वक भाग लें। वस्तुतः जब आप विद्यालय से निकलकर महाविद्यालय में प्रवेश लेते हैं तब आपकी स्वयं के प्रति जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। स्नातक स्तर की शिक्षा का भविष्य की ओर वह पहला कदम है। जिसे रखते समय यदि आप सावधान नहीं रहे तो लक्ष्य से भटक सकते हैं।

आप कक्षाओं में निरन्तर उपस्थित रहें तथा विद्वान सहायक आचार्य/सह आचार्यो/आचार्यो/व्याख्याताओं के अनुभवों एवं विद्वत्ता का पूर्णतः लाभान्वित होकर

अपनी योग्यता एवं प्रतिभा को निखारने का प्रयास करें। प्रतिस्पर्धा के इस युग में स्वयं को ज्ञान के नवीनतम स्रोतों व जानकारियों से परिचित रखना अत्यंत आवश्यक है। अतः कम्प्यूटर ज्ञान व सूचना प्रौद्योगिकी की नवीनतम प्रणालियों की सिर्फ जानकारी ही नहीं, बल्कि इसमें दक्षता प्राप्त कर इनका व्यावहारिक उपयोग भी सीखना आवश्यक है। इंटरनेट व वैश्वीकरण के इस युग में जहां समय की गति बहुत तीव्र हो गई है व मानव–मानव के बीच की दूरियाँ छोटी हो गई हैं, हमें समय की गति के साथ बना रहना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ ध्यातव्य है कि विद्यार्थियों को अंग्रेजी भाषा के प्रति भी गहरी अभिरुचि रखना बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि अंग्रेजी विश्व भाषा के रूप में पूरे विश्व को जोड़े हुए है। ज्ञान–विज्ञान से संबंधित समस्त जानकारी अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध व संरक्षित है। अतः समय की मांग है कि हम इस भाषा को अधिकार पूर्वक बोलने व समझने की दक्षता विकसित करें, जिससे अंग्रेजी हमारी राह में बाधक नहीं वरन् सहायक हो सके, लेकिन एक चीज जो सबसे महत्त्वपूर्ण है वह है श्रेष्ठ मानव बनने के लिए अपने भीतर श्रेष्ठ मानवीय मूल्यों का संरक्षण करना। आप पारस्परिक सहयोग, साहचर्य, समानता, समरसता, सहिष्णुता आदि के साथ–साथ अपने व्यक्तित्व में गंभीरता, सजगता, अनुशासन व दृढ़ इच्छा शक्ति को भी विकसित करें तथा इस संस्था के वृहद् लक्ष्यों व उद्देश्यों से जुड़ कर स्वयं के साथ–साथ महाविद्यालय की गरिमामयी छवि निर्मित करने में सहभागी बनें।

वर्तमान सत्र से महाविद्यालय में कला संकाय में स्नातक स्तर पर बी. ए., बीएससी. के साथ–साथ वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत बी. कॉम. के भी अध्ययन हेतु कक्षाएँ लगायी जा रही हैं। विगत सत्र से विज्ञान संकाय भी राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। इस प्रकार दूदू क्षेत्र के विद्यार्थियों को कला संकाय व वाणिज्य संकाय के साथ साथ विज्ञान संकाय के अन्तर्गत जीव विज्ञान वर्ग व गणित वर्ग के विषयों के अध्ययन का भी सुअवसर प्राप्त होगा।

मुझे आशा और विश्वास है कि आप जीवन के श्रेष्ठतम समय में स्वयं को एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में विकसित करने का प्रयत्न करेंगे।

अनन्त शुभकामनाओं सहित।

प्रो. सीताराम चौधरी
(प्राचार्य व संरक्षक)

महाविद्यालय परिचय

दूदू कस्बा जयपुर अजमेर के बीच राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या 08 पर जयपुर से लगभग 65 किमी दूरी पर स्थित है। यह उपखण्ड का मुख्यालय है तथा इसी नाम से विधान सभा क्षेत्र भी है। यहीं पर दूदू पंचायत समिति मुख्यालय भी है।

जून 2018 तक इस क्षेत्र के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के लिए अन्यत्र जाना पड़ता था। दूसरे शहरों में रहकर पढ़ाई का खर्च उठाना उनके सामर्थ्य से बाहर था। सत्र 2018–19 से महाविद्यालय के आम्रभ होने से उनका यह सपना भी साकार हो गया है। यहाँ कला संकाय में स्नातक स्तर तक शिक्षा की व्यवस्था है। कला संकाय के अंतर्गत अनिवार्य विषयों के साथ भूगोल, हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत साहित्य, राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र व लोक प्रशासन जैसे महत्वपूर्ण ऐच्छिक विषयों में अध्ययन की सुविधा है। राज्य सरकार व आयुक्तालय द्वारा इस महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष स्तर पर दो सेक्शन (160 सीट) स्वीकृत हैं। सभी विषयों में पूर्णकालिक एवं निपुण प्राध्यापक हैं। इस महाविद्यालय में सत्र 2021–22 से वाणिज्य संकाय भी प्रारम्भ की जा चुकी जिसके अन्तर्गत वाणिज्य संकाय में बी. कॉम. प्रथम वर्ष में 80 सीट विद्यार्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी हैं। सत्र 2022–23 से विज्ञान संकाय में राज्य सरकार से गणित वर्ग में (70 सीट) एवं जीव विज्ञान वर्ग में (70 सीट) स्वीकृत की गयीं थीं। अतः इस महाविद्यालय में वर्तमान में स्नातक स्तर पर कला संकाय, वाणिज्य संकाय एवं विज्ञान संकाय में कक्षाएँ संचालित हो रहीं हैं। महाविद्यालय की समस्त कक्षाओं में नियमित व गुणवत्तापूर्ण अध्ययन होता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए महाविद्यालय में आनन्दम् परियोजना, राष्ट्रीय सेवा योजना, खेलकूद, कौशल विकास प्रकोष्ठ महिला प्रकोष्ठ आदि प्रकोष्ठ संचालित किये जा रहे हैं। इतना ही नहीं छात्राओं के लिए महिला नीति एवं उड़ान जैसी महत्वपूर्ण योजनाएँ भी संचालित हो रहीं हैं, साथ ही विद्यार्थियों की प्रतिभा समुन्नत करने हेतु साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अधिकाधिक संख्या में इन गतिविधियों में अपनी अभिरुचि के अनुरूप भाग लें तथा अपनी प्रतिभा एवं कला को समुन्नत करते हुए महाविद्यालय को भी गौरवान्वित करें।

महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम

स्नातक पाठ्यक्रम : कला संकाय

बी. ए. पार्ट प्रथम वर्ष

स्नातक स्तर पर पार्ट प्रथम वर्ष में प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रक्रिया से भरे जाएंगे।

तीन वर्षीय स्नातक स्तरीय उपाधि हेतु विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में तीन वैकल्पिक विषयों व चार अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना होगा। यह महाविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध है अतः उक्त विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित है एवं वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

बी.ए. पार्ट प्रथम वर्ष– **प्रवेश योग्य निर्धारित स्थान** (दो वर्ग) **160**

अनिवार्य विषय

1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अंग्रेजी
3. प्रारम्भिक कम्प्यूटर एप्लीकेशन
4. पर्यावरणीय अध्ययन
5. आनन्दम परियोजना

ऐच्छिक विषय :

निम्नलिखित विषय समूहों में से विद्यार्थी किन्हीं तीन ऐच्छिक विषयों का चयन करेंगे–

Group A	Group B	Group C
हिन्दी साहित्य / संस्कृत साहित्य / अंग्रेजी साहित्य	**राजनीति विज्ञान / लोक प्रशासन**	**भूगोल / समाज शास्त्र**

(Subject Groups)

1- Groups A- Hindi Lit/ English Lit/ Sanskrit Lit.
2- Groups B - Political Science / Public Administration
3 Groups C- Geography / Sociology

तद्नुसार निम्नांकित विषय संयोजन में से विद्यार्थी को किसी एक विषय संयोजन का आवंटन किया जायेगा। इसलिए विद्यार्थी वरीयता क्रम से कम से कम छः विषय संयोजन को प्रवेश आवेदन पत्र में भरें।

विषय संयोजन (Subject Combination)

1	Hindi Lit.	Political Science	Geography
2	Hindi Lit.	Political Science	Sociology
3	English Lit.	Public Administration	Geography
4	English Lit.	Political Science	Geography
5	English Lit.	Sociology	Public Administration
6	Geography	Political Science	Sanskrit
7	Hindi Lit.	Public Administration	Sociology
8	Political Science	Sociology	Sanskrit

बी.ए. पार्ट द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष

बी.ए. पार्ट द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार सम्पन्न होगी। बी. ए. पार्ट प्रथम वर्ष में चयनित ऐच्छिक विषय ही पार्ट द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष के अध्ययन हेतु उपलब्ध होंगे।

स्नातक पाठ्यक्रम : वाणिज्य संकाय

बी. कॉम. पार्ट प्रथम वर्ष

स्नातक स्तर पर बी. कॉम पार्ट प्रथम वर्ष में प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रक्रिया से भरे जाएंगे।

तीन वर्षीय स्नातक स्तरीय उपाधि हेतु विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में तीन विषयों व अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना होगा। यह महाविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध है। अतः उक्त विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित है एवं वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

बी.कॉम. पार्ट प्रथम वर्ष– **प्रवेश योग्य निर्धारित स्थान** (एक वर्ग) **80**

अनिवार्य विषय

1. सामान्य हिन्दी
2. सामान्य अंग्रेजी
3. प्रारम्भिक कम्प्यूटर एप्लीकेशन
4. पर्यावरणीय अध्ययन
5. आनन्दम परियोजना

ऐच्छिक विषय :

1. **लेखा शास्त्र एवं व्यावसायिक सांख्यिकी (ABST)**
2. **व्यावसायिक प्रशासन (Business Adm.)**
3. **आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन (EAFM)**

बी.कॉम. पार्ट द्वितीय वर्ष

बी.कॉम. पार्ट द्वितीय वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार सम्पन्न होगी तथा बी.कॉम. पार्ट प्रथम वर्ष में चयनित ऐच्छिक विषय ही बी. कॉम. पार्ट द्वितीय वर्ष के अध्ययन हेतु उपलब्ध होंगे।

बी.कॉम. पार्ट तृतीय वर्ष

बी.कॉम. पार्ट तृतीय वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार सम्पन्न होगी तथा बी. कॉम. पार्ट द्वितीय वर्ष में चयनित ऐच्छिक विषय ही बी. कॉम. पार्ट तृतीय वर्ष के अध्ययन हेतु उपलब्ध होंगे।

स्नातक पाठ्यक्रम : विज्ञान संकाय

बी.एससी. पार्ट प्रथम वर्ष

स्नातक स्तर पर बी.एससी. पार्ट प्रथम वर्ष में प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाईन प्रक्रिया से भरे जाएंगे।

तीन वर्षीय स्नातक स्तरीय उपाधि हेतु विद्यार्थियों को प्रथम वर्ष में तीन विषयों व अनिवार्य विषयों का अध्ययन करना होगा। यह महाविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर से सम्बद्ध है। अतः उक्त विश्वविद्यालय द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित है एवं वार्षिक परीक्षाओं का आयोजन राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाता है।

बी.एससी. पार्ट प्रथम वर्ष– **प्रवेश योग्य निर्धारित स्थान**

1. **गणित वर्ग** (एक वर्ग) 70 सीट
2. **जीव विज्ञान वर्ग** (एक वर्ग) 70 सीट

अनिवार्य विषय

1 सामान्य हिन्दी
2 सामान्य अंग्रेजी
3 प्रारम्भिक कम्प्यूटर एप्लीकेशन
4 पर्यावरणीय अध्ययन
5 आनन्दम परियोजना

विषय : बी.एससी (गणित वर्ग)

1. रसायन शास्त्र **(Chemistry)**
2. भौतिक शास्त्र **(Physics)**
3. गणित **(Maths)**

विषय : बी.एससी (जीव विज्ञान वर्ग)

1 रसायन शास्त्र **(Chemistry)**
2 वनस्पति विज्ञान **(Botany.)**
3 प्राणि शास्त्र **(Zoology)**

बी.एससी. पार्ट द्वितीय वर्ष

बी.एससी. पार्ट द्वितीय वर्ष की प्रवेश प्रक्रिया आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार सम्पन्न होगी तथा बी. एससी पार्ट प्रथम वर्ष में चयनित विषय ही बी. एससी. पार्ट द्वितीय वर्ष के अध्ययन हेतु उपलब्ध होंगे।

प्रवेश शुल्क का विवरण

बी.ए. / बी. कॉम. प्रथम वर्ष (सत्र 2023–24)

S.No.	Type of fee	Gen boys Non I.T.payer	Gen boys I.T.payer	SC/ST/ OBC/SBC /Boys	All Girls	P.H. (Boys& Girls)
1	Admission Fee	2	2	2	00	0
2	Tution Fee	42	144	0	00	0
3	Lab fee	100	100	100	00	0
4	Computer education	450	450	450	450	0
5	Caution money	100	100	100	100	0
6	Library fee	150	150	150	150	0
7	Student activities fee	135	135	135	135	0
8	General purpose fee	315	315	315	315	0
9	Games fee	100	100	100	100	0
10	Student Union fee	50	50	50	50	0
11	Women Cell fee	0	0	0	50	0
12	Miscellaneous fee	60	60	60	60	0
13	Mahavidyalaya Vikas Samiti fee	400	400	400	400	0
Total		**1904**	**2006**	**1862**	**1810**	**00/00**
	Lab fee (only for Geography student)	100	100	100	100	0
Total		**2004**	**2106**	**1962**	**1910**	**00/00**

प्रवेश शुल्क का विवरण

(सत्र 2023–24)

बी. ए. /बी. कॉम. द्वितीय /तृतीय वर्ष

s.no.	Type of fee	Gen boys Non I.T.payer	Gen boys I.T.payer	SC/ST/ OBC/ SBC/ Boys	All Girls	P.H. (Boys& Girls)
1	Admission Fee	2	2	2	00	00
2	Tution Fee	42	144	0	00	00
3	Lab fee	100	100	100	00	00
4	Library fee	150	150	150	150	00
5	Student activities fee	135	135	135	135	00
6	General purpose fee	315	315	315	315	00
7	Games fee	100	100	100	100	00
8	Student Union fee	50	50	50	50	00
9	Women Cell fee	0	0	0	50	00
10	Miscellaneous fee	60	60	60	60	00
11	Mahavidyalaya Vikas Samiti fee	400	400	400	400	0
Total		**1354**	**1456**	**1312**	**1260**	**00/00**
	Lab fee (only for Geography student)	100	100	100	100	00
Total		**1454**	**1556**	**1412**	**1360**	**00/00**

प्रवेश शुल्क का विवरण
(सत्र 2023–24)

बी.एससी. प्रथम वर्ष (गणित एवं जीव विज्ञान वर्ग)

S.No.	Type of fee	Gen boys Non I.T.payer	Gen boys I.T.payer	SC/ST/ OBC/SBC/ Boys	All Girls	P.H. (Boys& Girls)
1	Admission Fee	2	2	2	00	00
2	Tution Fee	42	144	0	00	00
3	Lab fee	100	100	100	00	00
4	Computer education	450	450	450	450	00
5	Caution money	100	100	100	100	00
6	Library fee	150	150	150	150	00
7	Student activities fee	135	135	135	135	00
8	General purpose fee	315	315	315	315	00
9	Games fee	100	100	100	100	00
10	Student Union fee	50	50	50	50	00
11	Women Cell fee	0	0	0	50	0
12	Miscellaneous fee	60	60	60	60	00
13	Mahavidyalaya Vikas Samiti fee	400	400	400	400	00
14	Lab Development Fees	200	200	200	200	
Total		**2104**	**2206**	**2062**	**2010**	**00**

प्रवेश शुल्क का विवरण
(सत्र 2023–24)

बी.एससी. द्वितीय वर्ष (गणित एवं जीव विज्ञान वर्ग)

S.No.	Type of fee	Gen boys Non I.T.payer	Gen boys I.T.payer	SC/ST/ OBC/SBC/ Boys	All Girls	P.H. (Boys& Girls)
1	Admission Fee	02	02	02	00	0
2	Tution Fee	42	144	00	00	0
3	Lab fee	100	100	100	00	0
6	Library fee	150	150	150	150	0
7	Student activities fee	135	135	135	135	0
8	General purpose fee	315	315	315	315	0
9	Games fee	100	100	100	100	0
10	Student Union fee	50	50	50	50	0
11	Women Cell fee	0	0	0	50	0
12	Miscellaneous fee	60	60	60	60	0
13	Mahavidyalaya Vikas Samiti fee	400	400	400	400	0
14	Lab Development Fees	200	200	200	200	00
Total		**1554**	**1656**	**1512**	**1460**	**00**

छात्रवृत्तियाँ

विभिन्न छात्रवृत्तियों की जानकारी हेतु विद्यार्थी

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की वेबसाइट

hte.rajasthan.gov.in का

तथा महाविद्यालय की सूचना पट्टिका का भी नियमित रूप से अवलोकन करें।

प्रवेश के सामान्य नियम

महाविद्यालय में समस्त विद्यार्थियों का प्रवेश आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर द्वारा प्रकाशित प्रवेश नीति सत्र 2021–22 के अनुसार सम्पन्न होंगे। यह प्रवेश नीति आयुक्तालय की वेबसाइट **hte.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी।

1. महाविद्यालय में स्नातक प्रथम वर्ष स्तर पर प्रवेश आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रक्रिया से किये जाएंगे।
2. स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार सम्पन्न किये जावेगे।
3. महाविद्यालय में प्रत्येक संकाय/विषय में जितने विद्यार्थियों की संख्या निश्चित है, उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा।

(I) महाविद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश निदेशालय कॉलेज शिक्षा द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार प्रारम्भ होंगे। प्रवेश लेते समय विद्यार्थी अपना आवेदन–पत्र सभी आवश्यक प्रपत्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे। जिन कक्षाओं के परीक्षा परिणाम प्रवेश प्रारम्भ होने की तिथि तक घोषित नहीं होते हैं, वे विद्यार्थी कॉलेज शिक्षा निदेशालय के नियमों के अनुसार अपने आवेदन पत्र प्रवेश हेतु प्रस्तुत कर सकेंगे।

(II) ऑन लाईन आवेदन–पत्र आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर की वेबसाईट **hte.rajasthan.gov.in** पर उपलब्ध है। ये प्रवेश नीति में दी गई

समय सारिणी एवं नियमों के अनुसार भरे जाऐंगे। प्रवेश संबंधी सूचनाएं महाविद्यालय के वेब पेज पर भी उपलब्ध है।

3. प्रवेशार्थी ऑनलाईन आवेदन–पत्र भरते समय प्रवेश नीति में दिये गये निर्देशानुसार प्रमाण पत्रों की प्रति स्केन कर अपलोड करेंगे। तथा प्रवेश सूची में नाम आने पर आवेदन पत्र की हार्ड कापी के साथ उन्हीं प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों एवं स्वयं सत्यापित प्रतियॉ भी प्रस्तुत करनी होंगी। सामान्यतः प्रवेश हेतु निम्नांकित प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होती है–

(क) नये प्रवेशार्थियों को, जिन्होंने अन्तिम परीक्षा (10+2 योजना के अन्तर्गत 12वीं कक्षा) किसी शिक्षण संस्था से नियमित विद्यार्थी के रूप में उत्तीर्ण की है –

(ख) अन्तिम संस्था के स्थानान्तरण प्रमाण पत्र (T.C.) की मूल प्रति।

(ग) अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका (Marksheet) की दो प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

(घ) चरित्र प्रमाण–पत्र (C.C.) की मूल प्रति।

(ड) सैकण्डरी परीक्षा की अंकतालिका की दो सत्यापित प्रतिलिपियाँ

(च) यदि प्रवेशार्थी ने राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट, खेलकूद आदि में बोनस अंक हेतु प्रमाण पत्र संलग्न किया है तो उनके प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्र करें।

(छ) जिनके अभिभावक राजस्थान सरकार के ऐसे कर्मचारी हैं जो आयकर दाता नहीं हैं वे शिक्षण शुल्क से मुक्ति हेतु तत्सम्बन्धी प्रमाण–पत्र संलग्र करें।

(ज) यदि विद्यार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति/एसबीसी/दिव्यांग/ अन्य विशेष श्रेणी (प्रतिरक्षा/ कश्मीरी इत्यादि)का है तो उसकी पुष्टि हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न करें।

4. नियमों में किसी प्रकार का संशोधन होने पर तद्नुसार संशोधित नियम ही लागू होंगे।

5 आवेदन पत्र पर विद्यार्थी के एवं पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए।

6. यदि प्रवेशार्थी आवेदन पत्र के साथ किसी भी आवश्यक प्रमाण–पत्र को प्रस्तुत नहीं करेगा तो उसे सामान्यतया प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

7. आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर से प्राप्त प्रवेश सम्बन्धी नियम आदेश प्राप्ति के साथ ही स्वतः मान्य होंगे।

8. प्राचार्य किसी भी प्रवेशार्थी को उचित कारण होने पर प्रवेश के लिए मना कर सकते हैं।

9. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, या उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया अथवा उसके प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना पायी गयी या उसने महाविद्यालय नियमों का उल्लंघन किया या अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये अथवा स्वयं के हस्ताक्षर किए तो उसका यह कार्य अत्यन्त अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जायेगा तथा उसका प्रवेश भी तुरन्त प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

महाविद्यालय के सामान्य नियम

1. सभी विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षाओं में उपस्थित रहें।

2. विद्यार्थी को महाविद्यालय में अपनी साइकिलें, स्कूटर आदि निर्धारित स्थान पर ही रखें। यदि कोई वाहन अन्यत्र रखा मिला तो समुचित कार्यवाही (आर्थिक दण्ड अथवा अभिभावक को बुलाना) की जायेगी।

3. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल फोन का उपयोग करना सर्वथा वर्जित है। अतः विद्यार्थी से अपेक्षा की जाती है कि–

4. किसी विद्यार्थी का व्यवहार महाविद्यालय के प्रांगण में या बाहर ऐसा नहीं होना चाहिए। जिससे महाविद्यालय की गरिमा को क्षति पहुँचे।

5. विद्यार्थियों द्वारा धूम्रपान व नशीले पदार्थों का सेवन वर्जित है। महाविद्यालय प्रांगण में यदि कोई विद्यार्थी ऐसा करता पाया गया/पायी गयी तो उसे महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है।

6. विद्यार्थियों को हर वर्ष वार्षिक परीक्षा में बैठने से पूर्व, उन पर यदि महाविद्यालय का कुछ बकाया है, तो उसे जमा करवा कर बकाया मुक्ति प्रमाण पत्र (No Dues

Certificate) प्राप्त कर लेना चाहिए। अन्यथा प्राचार्य उन्हें परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं।

7. विद्यार्थियों के लिए आवश्यक सूचनाएँ महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी। सूचना पट्ट पर सूचना लगाने का तात्पर्य यह माना जाएगा कि विद्यार्थियों को सूचना दे दी गयी है। अतः विद्यार्थियों को प्रतिदिन महाविद्यालय के सूचना पट्ट को अवश्य देखना चाहिए क्योंकि कार्यालय ऐसे किसी बहाने को मान्यता नहीं देगा कि विद्यार्थी ने सूचना पट्ट नहीं देखा था अथवा विद्यार्थी को किसी आदेश या सूचना की जानकारी नहीं थी।

8. महाविद्यालय के सभी नियमित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष एक परिचय पत्र प्रवेश के साथ ही दिया जायेगा। इसे विद्यार्थी सदैव अपने पास रखें। परिचय पत्र अहस्तांतरणीय है। उसका दुरुपयोग न हो, इसलिए परिचय पत्र सत्र में एक बार ही दिया जाएगा। स्टाम्प पेपर पर नोटेरी पब्लिक द्वारा सत्यापित उक्त आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करने तथा 50 रुपये शुल्क जमा कराने पर ही नया परिचय पत्र (डुप्लीकेट) दिया जा सकेगा। महाविद्यालय के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा परिचय–पत्र मांगने पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

9. विद्यार्थियों को शिक्षक वर्ग के प्रति उचित सम्मान तथा महाविद्यालय के समस्त कर्मचारियों के प्रति सद्व्यवहार रखना चाहिए।

10. परिसर की स्वच्छता बनाये रखने में विद्यार्थियों का सहयोग अपेक्षित है। दीवारों की स्वच्छता व कक्षा में सुव्यवस्थित फर्नीचर विद्यार्थियों के सहयोग से ही सम्भव है।

11. इन नियमों में परिवर्तन एवं परिवर्द्धन करने का प्राचार्य को पूर्ण अधिकार है।

12. उपर्युक्त निर्देशों की अवहेलना करने पर प्राचार्य द्वारा उचित दण्ड दिया जावेगा। जिसमें महाविद्यालय से निष्कासन भी किया जा सकता है।

12. प्राचार्य द्वारा इन नियमों की व्याख्या एवं विद्यार्थियों से संबंधित शैक्षणिक निर्णय अन्तिम होंगे।

उपस्थिति सम्बन्धी नियम

विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने हेतु प्रत्येक विद्यार्थी की हर विषय में (प्रायोगिक व सैद्धान्तिक कालांशों में) न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है। राज्य सरकार तथा कॉलेज शिक्षा निदेशालय द्वारा उपस्थिति के संबंध में कठोरता से पालन करने का निर्देश दिया जाता है। कुल व्याख्यानों की संख्या सत्र के प्रारम्भ से ही गिनी जाएगी, चाहे विद्यार्थी ने सत्र के किसी भी दिन प्रवेश लिया हो। संकाय अथवा विषय परिवर्तन करने वाले विद्यार्थी इस संदर्भ में सतर्क रहें।

रैगिंग– एक आपराधिक कृत्य

महाविद्यालय में प्रविष्ट प्रत्येक नवागन्तुक विद्यार्थी हमारे परिवार की महत्त्वपूर्ण इकाई है। इस इकाई को उन्नत तथा समृद्ध बनाना हमारा दायित्व है। वरिष्ठ विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे नवीन विद्यार्थियों के साथ मधुर, स्नेहिल व सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध रखें। ये विद्यार्थी वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा प्रदत्त विरासत को ही ग्रहण करेंगे। अतः इनका दायित्व और भी अधिक हो जाता है। यदि कोई विद्यार्थी अपने कर्त्तव्यों से विमुख होकर रैगिंग जैसे आपराधिक कृत्य में लिप्त पाया गया तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। रैगिंग की रोकथाम हेतु 'एंटी रैगिंग समिति' से तुरन्त सम्पर्क किया जाना चाहिए। पीड़ित छात्र समिति सदस्य (मो. नं.) से संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

सह–शैक्षणिक तथा शिक्षणेतर गतिविधियॉ

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार महाविद्यालय में युवा कौशल विकास प्रकोष्ठ के अन्तर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना, युवा विकास केन्द्र, महिला प्रकोष्ठ, छात्र परामर्श केन्द्र, ट्रैफिक /रोड सेफ्टी क्लब, मानवाधिकार क्लब इत्यादि गतिविधियॉ संचालित की जाती हैं।

साथ ही महाविद्यालय में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु विभिन्न सह–शैक्षणिक तथा शिक्षेत्तर गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। जिससे कि विद्यार्थी राष्ट्र और समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभाकर सुयोग्य नागरिक बन सके।

राष्ट्रीय सेवा योजना

राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा विद्यार्थी को उसके शिक्षा काल में ही सामाजिक सरोकारों से सम्बद्ध कर उसे सहभागी बनाया जाता है जिससे उसका अपना व्यक्तित्व भी

निखरता है साथ ही समूह का हिस्सा बनकर कुशल नेतृत्व के साथ कर्तव्य निर्वहण हेतु यथार्थ के ठोस धरातल पर खड़े होकर व्यावहारिक ज्ञानार्जन का सुयोग भी प्राप्त होता है। अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर सामाजिक भूमिका को सुनिश्चित करने की समझ भी विद्यार्थी में इसी के माध्यम से विकसित होती है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत सामाजिक सरोकारों के विषयों यथा साक्षरता, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, एड्स के प्रति जागरूकता, महिला सशक्तीकरण, राष्ट्रीय एकता, बंजर भूमि विकास आदि से विद्यार्थियों को सम्बद्ध किया जाता है।

राष्ट्रीय सेवा योजना में पंजीकृत विद्यार्थी को तीन एक दिवसीय व एक सात दिवसीय विशेष शिविर में भाग लेना अनिवार्य होता है। विशेष शिविर में गाँव या बस्ती में रहकर 120 घण्टे कार्य करना होता है। नियमित गतिविधियों में भी कार्यावधि 120 घण्टे ही है। लगातार दो सत्रों तक छात्र को राष्ट्रीय सेवा योजना में कार्यरत रहना होता है। महाविद्यालय में राज्य सरकार ने एक इकाई आवंटित की है। आंवटित इकाई में सौ विद्यार्थी पंजीकृत किये जाते हैं। अतः विद्यार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे तिथि घोषित होते ही कार्यक्रम अधिकारी से यथाशीघ्र सम्पर्क कर अपना पंजीकरण करवा लें।

महिला नीति

किसी भी राष्ट्र और समाज के विकास में महिलाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। महिलाओं की दक्षताओं को विकसित करने तथा उनके मानसिक, आध्यात्मिक एवं सामाजिक विकास द्वारा सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने महाविद्यालय में महिला नीति को लागू किया।महाविद्यालय में छात्राओं के लिए महिला नीति के तहत विभिन्न विद्वान् विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं। इन व्याख्यानों के माध्यम से यह प्रयास किया जाता है कि आज के इस प्रतिस्पर्द्धात्मक युग में महिला वर्ग अपने जीवन में समय प्रबन्धन, नेतृत्व क्षमता, आत्म सुरक्षा, संवाद कौशल, तनाव नियंत्रण, क्रोध नियंत्रण, व्यवहार कुशलता, अनुशासन, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प इत्यादि में दक्षता विकसित कर अपनी प्रतिभा व व्यक्तित्व का विकास कर सके। रोजगार प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सके तथा प्रभावशाली ढंग से अपनी दिशा तय कर उत्कृष्ट रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सके।

उड़ान योजना

राज्य सरकार की उड़ान योजना के अन्तर्गत महाविद्यालय में छात्राओं को नियमानुसार सेनेटरी नेपकिन का नियमानुसार वितरण किया जा रहा है।

महिला प्रकोष्ठ

महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं हेतु महिला प्रकोष्ठ की स्थापना की गयी है। इस प्रकोष्ठ का मुख्य उद्देश्य छात्राओं को जागरुक करना है। प्रत्येक छात्रा इसकी अनिवार्य रूप से सदस्य होती है। यह प्रकोष्ठ छात्राओं हेतु शैक्षणिक व शिक्षेतर गतिविधियों का संचालन कर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है एवं छात्राओं को महिला उत्थान व सशक्तीकरण हेतु प्रेरित करता है। इस हेतु महाविद्यालय में अध्ययनरत सभी छात्राएँ सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर सकती हैं।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीडन को रोकने हेतु महाविद्यालय में यौन उत्पीडन निवारण समिति का गठन किया गया है। पीड़िता अपनी शिकायत प्राचार्य अथवा समिति के संयोजक को लिखित रूप में प्रेषित कर सकती है।

राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठियों का प्लेटफॉर्म

इस महाविद्यालय में सत्र 2022–23 से एक नयी परम्परा का आगाज करते हुए राष्ट्रीय एवं अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठियों का प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। जिसके अन्तर्गत दिनांक 27–28 जनवरी 2023 को पर्यावरण संरक्षण एवं सामाजिक शासन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अन्तरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जो न केवल विद्यार्थियों/शोधार्थियों/विषय विशेषज्ञों के लिए बल्कि इस क्षेत्र के विद्वतजनों के लिए भी शोध के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित करेगा।

छात्रसंघ

विद्यार्थियों को सही नेतृत्व व दिशा प्राप्त हो, वे प्रजातांत्रिक प्रणाली से परिचित हों सके तथा साहित्यिक–सांस्कृतिक–शैक्षणिक गतिविधियों हेतु उन्हें एक मंच प्राप्त हो इसी उत्कृष्ट भावना के साथ आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के निर्देशानुसार प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के लिए छात्रसंघ का विधिवत गठन किया जाता है। इसके संदर्भ में विशेष जानकारी निदेशालय द्वारा प्रकाशित/निर्धारित चुनाव कार्यक्रम तय होने के पश्चात प्राप्त की जा सकती है। चुनाव समिति की गाइड़लाईन के अनुसार छात्रसंघ चुनाव संपादित किए जाएंगे।

ऑनलाइन प्रवेश समितियॉ 2023–24

1. नोडल अधिकारी– ऑनलाइन प्रवेश स्नातक

डॉ यदुवीर सिंह खिरवार

2. प्रवेश समिति बी. ए. पार्ट प्रथम वर्ष

डॉ अनुभूति तिवारी (संयोजक)

डॉ सत्यमुदिता स्नेही (सदस्य)

3. प्रवेश समिति बी. ए./ बी.एससी. पार्ट II

डॉ प्रज्ञा शर्मा (संयोजक)

4. प्रवेश समिति बी. एससी. पार्ट प्रथम

श्रीमती लता कुमारी छाछिया (संयोजक)

5. बी. ए पार्ट तृतीय /बी.कॉम. पार्ट I/II/III

डॉ बीना शर्मा (संयोजक)

हेल्प डेस्क/अनुशासन/प्रचार–प्रसार– बैनर निर्माण/ऐंटी रैंगिंग आदि

1. डॉ अनुभूति तिवारी संयोजक
2. डॉ बीना शर्मा सदस्य
3. डॉ प्रज्ञा शर्मा सदस्य
4. डॉ रामफूल यादव सदस्य
5. श्री लालचन्द यादव सदस्य

नोट– सभी समितियों में संयोजक की अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठ संकाय सदस्य संयोजक का कार्य करेंगे।

महाविद्यालय–परिवार

प्राचार्य – प्रो. सीताराम चौधरी

कला संकाय सदस्य

संस्कृत साहित्य	–	डॉ. सत्यमुदिता स्नेही
हिन्दी साहित्य	–	डॉ. यदुवीर सिंह खिरवार
अंग्रेजी साहित्य	–	रिक्त
भूगोल	–	श्री रामफूल यादव
राजनीति विज्ञान	–	डॉ सीता राम चौधरी
समाज शास्त्र	–	डॉ प्रज्ञा शर्मा
लोक प्रशासन	–	श्री लालचन्द यादव
पुस्तकालयाध्यक्ष	–	रिक्त
शारीरिक शिक्षा अनुदेशक	–	रिक्त

वाणिज्य संकाय सदस्य

लेखा शास्त्र एवं व्यावसायिक सांख्यिकी (ABST)	डॉ बीना शर्मा
व्यावसायिक प्रशासन (Business Adm.)	रिक्त
आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबंधन (EAFM)	रिक्त

विज्ञान संकाय सदस्य

रसायन शास्त्र	डॉ लता कुमारी छाछिया
वनस्पति शास्त्र	डॉ अनुभूति तिवारी
प्राणी शास्त्र	रिक्त
भौतिक शास्त्र	रिक्त
गणित	रिक्त

मंत्रालयिक एवं अधीनस्थ कर्मचारी

कार्यालय अधीक्षक		रिक्त
सहायक लेखाधिकारी प्रथम	–	रिक्त
लिपिक ग्रेड प्रथम	–	रिक्त
आशुलिपिक–		श्री हर्षित पारीक (कार्यव्यवस्थार्थ अन्यत्र)
लिपिक ग्रेड द्वितीय	–	सुश्री रोनक टेलर
लिपिक ग्रेड द्वितीय	–	श्री जोरावर मल चौधरी
प्रयोगशाला सहायक	–	श्री देवेश कुमार सिंह
प्रयोगशाला वाहक	–	रिक्त
बुक लिफ्टर	–	श्री पुरुषोत्तम शर्मा (आयुक्तालय में कार्यरत)
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	–	श्री राकेश चौधरी

....